कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र।

संख्या– 13 /2023 दिनांकः– 12.01.2023

(प्रशासनिक अनुभाग)

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–14 एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालय में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से ऐसे कर्मचारीगण जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, को एक वर्ष की अवधि के लिए (यदि पूर्व में ही समाप्त न कर दी जाए अथवा प्रोन्नति व माननीय उच्च न्यायालय, भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद द्वारा भर्ती होने तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर) पुनर्नियुक्त किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है।

प्रशासनिक अधिकारी की आख्यानुसार जनपद न्यायालय, सोनभद्र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टैब्लिशमेण्ट पोर्टल (DECP) पर उपलब्ध रिक्त पदों में से रिक्त न्यायालयों के पदों को छोड़कर एवं फेमिली कोर्ट तथा त्वरित (F.T.C.) न्यायालयों में सम्बद्ध कर्मचारियों के दृष्टिगत अधोलिखित तालिकानुसार रिक्त पदों का विवरण निम्ववत है–

क0सं0	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	वरिष्ठ सहायक / कनिष्ठ सहायक / पेड अप्रेण्टिस	10
2	आशुलिपिक ग्रेड–।।।	05
3	ड्राईवर	02
4	दफ्तरी / बण्डल लिफ्टर / प्रोसेस सर्वर / अर्दली / ऑफिस प्यून / प्यून / फर्रास / चौकीदार / स्वीपर	19

जनपद न्यायालय सोनभद्र में कर्मचारीगण की अत्यधिक कमी, न्यायिक कार्य के सुगमता पूर्वक निर्वहन में कठिनाईयों के दृष्टिगत, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–14 / एडमिन 'डी' सेक्शन, दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में तालिका में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार, जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मचारी, जिनकी आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो, से आशुलिपिक, लिपिक, ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदक अपना आवेदन पत्र, आयु प्रमाण पत्र व स्वस्थता प्रमाणपत्र के साथ दिनांक 25.01.2023 को सांय 05:00 बजे तक, प्रशासनिक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त पदों हेतु वेतन सम्बन्धित पद पर आवेदक को मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन, जिसमें से पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व) घटाते हुये (on the principal of last pay drawn minus amount of pension) उत्तर प्रदेश शासन के आदेशों / नियमों के अधीन परिलब्धियां देय होगी।

Ashok Kumar Yadav-I
12.1.2023

(अशोक कुमार यादव–I)
अध्यक्ष, चयन समिति /
जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र

जनपद न्यायालय, सोनभद्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्त के माध्यम से भरे जानें वाले रिक्त पदों पर सेवायोजन के लिए आवेदन–पत्र।

(As per C.L. No. 14/Admin. 'D' Section, Dated: 15.10.2022)

आवेदित पद का नामः आशुलिपिक/लिपिक/चतुर्थ श्रेणी

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. सेवानिवृत्त की तिथि :
5. अन्तिम धारित पद एवं जनपद न्यायालय का नाम (जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं) :..
6. पी0पी0ओ0 संख्या (छायाप्रति संलग्न करें) :..
7. स्थायी पता :..
....
....
8. अस्थायी पता :..
....
....
9. मोबाईल नंबर :..
10. ई–मेल आई0डी0 :...
11. शैक्षणिक योग्यता :..
12. सेवानिवृत्ति की तिथि से पांच वर्षों की सत्यापित वार्षिक प्रविष्टि...................................

अण्डरटेकिंग

मैं इस आशय की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर रहा हूँ/रही हूँ कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हूँ एवं जनपद न्यायालय, सोनभद्र में आवेदित पद पर कार्य करने हेतु सक्षम हूं। मेरे सेवाकाल में मेरी जानकारी के अनुसार मुझ कोई दण्ड या प्रविष्टि नहीं दी गयी है, जिससे पुनर्नियुक्ति में बाधा हो। सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी मेरे विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही दण्ड दिया गया है न ही मेरे विरूद्ध कोई भी आपराधिक कार्यवाही लम्बित है।

मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे निजी जानकारी में सही व सत्य है। यदि किसी भी समय उक्त सूचनाएं गलत या झूठी पायी गयी तो उसकी पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी व इस सम्बन्ध में मेरे विरूद्ध की गयी कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी। मैंने आवेदन सम्बन्धी सभी नियम/शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा मुझे स्वीकार है।

दिनांक–

आवेदक के हस्ताक्षर